



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1187/MH/29/2022-ESDW

दिनांक: 03.01.2023

सेवा में,

श्री मनु कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख शासन सचिव,
महाराष्ट्र सरकार,
सीएस कार्यालय, मुख्य भवन,
मंत्रालय, छठी मंजिल, मैडम कामा रोड,
मुंबई-400032 (महाराष्ट्र)
ई-मेल: Chiefsecretary@maharashtra.gov.in

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एससीएसटी ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976 का मराठी अनुवाद करने के कारण "छत्री" अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के संबंध में श्री रमेश भगवंतराव तालेवार, सचिव, छत्री अनुसूचित जनजाति विकास समिति मुख्यालय, नागपुर, पता- रविंद्र श्रीरामवार, प्लॉट क्र. 79, आर एम एस कॉलोनी (काटोल रोड), अनंत नगर, नागपुर (महाराष्ट्र)- 440013 का दिनांक 12.11.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग श्री रमेश भगवंतराव तालेवार से दिनांक 12.11.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री रमेश भगवंतराव तालेवार,
सचिव,
छत्री अनुसूचित जनजाति विकास समिति मुख्यालय, नागपुर,
पता- रविंद्र श्रीरामवार, प्लॉट क्र. 79,
आर एम एस कॉलोनी (काटोल रोड),
अनंत नगर, नागपुर,
(महाराष्ट्र)- 440013।

0/6/79-80
जाति प्रमाण पत्र
ISSUED
8/1/23
(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी